अतिक्रमण करने से मना किया किन्तु अप्रार्थीगण बदयांति पर आमादा है इस कारण प्रार्थीगण ने अभी 10–15 दिन पूर्व खेतो का नाप करवाने हेतु अप्रार्थीगण को कहा किन्तु वे स्पष्ट इंकार हो गऐ इस कारण प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के खेतो का सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवाने हेतु उक्त आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ जिसके लिए यह आवेदन पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किये गये।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खातेदारी के खेताय खसरा नम्बर 93 का पूर्वी हिस्सा में खसरा नम्बर 499/93 व खसरा नम्बर 91 के पूर्वी हिस्सा में खसरा नम्बर 500/91 स्थित है। उक्त खेताय के उतरी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 88 रकबा 65.00 बीघा एवं दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 94 रकबा 77.19 बीघा ग्राम कालड़ी स्थित है।

उपरोक्त विवेचने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कालडी तहसील नागौर स्थित प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 499/93 के साबिक खसरा नम्बर 93 रकबा 59.12 बीघा, खसरा नम्बर 91 के पूर्वी हिस्सा में खसरा नम्बर 500/91 ग्राम कालडी में स्थित है का मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार नागौर को दिये जाते है। कमिश्नर खर्च के 1000/– रूपये तय किये जाते है जो प्रार्थी द्वारा मौके पर ही देय होगे।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.), नागौर

आदेश आज दिनांक 12/3/16 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.), नागौर

–: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),नागौर :–

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 28 / 2012

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. पूर्णाराम पुत्र गिरधारीराम 2. हणुताराम पुत्र गिरधारीराम 3. देवाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासीगण कालडी तहसील व जिला नागौर		1. पदमाराम पुत्र टीकूराम 2. कुम्बाराम पुत्र टीकूराम 3. टीकूराम पुत्र दुदाराम निवासीगण कालड़ी तहसील व जिला नागौर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

उपस्थित अधिवक्ता :– प्रार्थी श्री श्यामकुमार व्यास

अप्रार्थी श्री कैलाश गालवा

आवेदन अधीन धारा 128 एल.आर.एक्ट

आदेश

दिनांक :– 12/3/16

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, प्रार्थी संख्या 1 पूर्णाराम की खातेदारी का कब्जा काश्तसुदा खेत खसरा नम्बर 499 / 93 रकबा 22.11 बीघा व खसरा नम्बर 500 / 91 रकबा 14.16 बीघा एवं प्रार्थी संख्या 2 हणुताराम की खातेदारी का कब्जा काश्तसुदा खेत खसरा नम्बर 93 रकबा 37.01 बीघा व खसरा नम्बर 92 रकबा 0.06 बीघा गैर मुमकिन टांका एवं प्रार्थी संख्या 3 देवाराम की खातेदारी की कब्जा काश्तशुदा खेत खसरा नम्बर 89 रकबा 0.10 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, 0.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन ढाणी व खसरा नम्बर 91 रकबा 36.16 बीघा वाके ग्राम कालडी स्थित है।

2 यह है कि, प्रार्थीगण के उपर वर्णित खेताय पूर्व में संयुक्त खातेदारी में थे। खसरा नम्बर 499 / 93 के साबिका खसरा नम्बर 93 रकबा 59.12 बीघा व खसरा नम्बर 500 / 91 के साबिका खसरा नम्बर 91 रकबा 51.12 बीघा थे। तत्पश्चात प्रार्थीगण के मध्य आपसी भौतिक बंटवाडा होकर खातेदारीया अलग–अलग हो गई। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 93 के पूर्वी हिस्से में खसरा नम्बर 499 / 93 व खसरा नम्बर 91 के पूर्वी हिस्से में खसरा नम्बर 500 / 91 कायम हुए। इस प्रकार उक्त दोनो खेताय के पश्चिमी हिस्सो में प्रार्थी पूर्णाराम काबिज है।

3 यह है कि, प्रार्थी संख्या 1 व 3 के उतरी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी का खसरा नम्बर 88 रकबा 65 बीघा स्थित है एवं प्रार्थी संख्या 1 व 2 के दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 94 रकबा 77.19 बीघा स्थित है।

4 यह है कि, अप्रार्थीगण पिछले काफी समय से बदयांति पर आमादा है व इन लोगो ने अपने खेतो में काश्त करने के बहाने ट्रेक्टर से तईया निकाल कर पुरानी सींवो को उनके यथास्थान से खिसकाते हुए प्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर आमादा है। प्रार्थीगण ने इस संबंध में अप्रार्थीगण से मिलकर उन्हे ऐसा करने से मना किया व नाजायज

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर